किसानों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी से जुड़ने का किया आव्हान

बीकानेर, (कासं)। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में मंगलवार को तीन दिवसीय किसान मेला प्रारंभ हुआ। कृषि मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने किसान मेले का उद्घाटन किया और मेले में लगी विभिन्न स्टाल्स का अवलोकन कर किसानों को दी जा रही विभिन्न तकनीकों, प्रौद्योगिकी, नवाचारों और विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कृषि अनुसंधान की जानकारी ली।

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में तीन दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन कर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने स्मारिका का विमोचन किया।

- **कृषि मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने मेले में स्टाल्स का अवलोकन कर नवाचारों व कृषि अनुसंधान की जानकारी ली**
- **एसकेआरएयू में तीन दिवसीय कृषि मेला प्रारम्भ**

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि विषम जलवायु परिस्थितियों के बावजूद कृषि उत्पादन में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। किसान आधुनिकतम कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए सुनियोजित कृषि करें तो निश्चित ही लाभकारी कृषि की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। केन्द्र और राज्य सरकार किसान के हित में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, ग्रीन हाउस, पॉलीहाउस, सिंचाई पाइपलाइन, बूंद-बूंद सिंचाई, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही।

किसान इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। उन्होंने कहा कि पॉली हाउस, स्प्रिंकलर आदि में राज्य सरकार द्वारा 95 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के लिए अधिकतम भरपाई सुनिश्चित करवाई जायेगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि किसान को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 30.41 लाख मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करवाया गया। सरकार ने अब तक सूक्ष्म संयंत्र के लिए 605.14 करोड, कृषि संयंत्रों में 163.9 करोड़ की सब्सिडी किसानों को दी है। पौध संरक्षण, कस्टम हायरिंग सेंटर में भी सब्सिडी दी गई है। 9.67 लाख सायल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं। आगामी सीजन में डीएपी तथा यूरिया की कालाबाजारी नहीं हो इसके लिए एडवांस में व्यवस्था की जायेगी।

उन्होंने बताया कि प्राकृतिक रूप से आने वाली व्यापक चुनौतियां का सामना करने में किसानों को सरकार का हरसंभव सहयोग रहेगा। उन्होंने किसानों से केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का आव्हान किया। मेले में 101 स्टाल्स का अवलोकन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा तैयार उत्पादों, बीजों व अन्य अनुसंधानों की सराहना की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। राजस्थान वेटरनरी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ ए. के. गहलोत ने कहा कि किसानों को इस मेले में नई कृषि तकनीक से व्यावहारिक रूप से जुड़ने का अवसर मिला है। राजस्थान देश में कृषि योगदान में अहम स्थान रखता है लेकिन पानी की कमी एक बड़ी चुनौती है। राजस्थान में कृषि की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

किसान नई तकनीक अपनाने के लिए उत्सुक रहें, कम आदान वाली फसलों को अपनाएं ताकि लाभकारी कृषि की तरफ जा सके। विपणन की समस्या के निदान के लिए बिक्री में सहभागिता लाने की आवश्यकता है। समग्र खेती अपनाने से ही किसान खेती को लाभकारी बना सकेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अरूण कुमार ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय एवं कृषि विभाग (आत्मा) के संयुक्त तत्वावधान में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में 101 स्टाल्स लगाई गई है।

मेले में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर कृषि महाविद्यालय, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों में किए जा रहे कृषि अनुसंधान, उत्पादों के प्रदर्शन के साथ खाद, बीज, कृषि उपकरण संयंत्र निजी विक्रेता तथ उत्पादकों दारा स्टाल्स लगाकर किसानों को आधुनिकतम तकनीक अनुसंधान और कृषि प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने अतिथियों तथा किसान का आभार प्रकट किया। विश्वविद्यालय के प्रगति के सोपान चलचित्र के माध्यम से विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी दी गई।

वित्त नियंत्रक पवन कस्वां ने कहा कि कृषि शिक्षा और तकनीक प्रसार की दिशा में यह मेला सार्थक साबित होगा। पश्चिम राजस्थान की जलवायु के अनुरूप तकनीक और नवाचारों की जानकारी लेकर यदि किसान इन्हें अपनाएंगे तो लाभकारी कृषि की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

ऊंटगाड़े से मौत मामले में 5 साल की सजा

बीकानेर,(कासं)। आठ साल पहले एक युवक की ऊंट गाड़े के नीचे आने से मौत के मामले में अदालत ने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या चार ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच साल की सजा सुनाते हुए पंद्रह हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीन महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

मामला देशनोक थाना क्षेत्र का है। जहां ऊंट गाड़े की दौड़ की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। देशनोक थाने में भंवरलाल की ओर से एफआईआर दी गई कि ओमप्रकाश, मगाराम व बाबूलाल उसके व उसके भाई भगाराम के घर के आगे से ऊंट गाड़ा को दौड़ाकर ले जाते थे। इसके लिए इनको कई बार मना किया गया। 3 मई 2017 को भंवरलाल व भगाराम अपने घर के आगे खड़े थे। इस दौरान ऊंट गाड़ा दौड़ता हुआ आया और भगाराम को अपनी चपेट में ले लिया। भगाराम को घायल अवस्था में पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। तब भी पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का ही मामला दर्ज किया था।

ओमप्रकाश और मघाराम दोनों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ। दोनों को ही अदालत ने दोषी मानते हुए सजा दी है। अब ओमप्रकाश पुत्र बद्रीराम निवासी आंबासर, मघाराम पुत्र चुन्नीलाल निवासी आंबासर को आरोप साबित होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत पांच वर्ष का साधारण कारावास दिया गया है। वहीं अर्थदंड के रूप में पंद्रह हजार रूपए देने के आदेश दिए हैं।

सार-समाचार

होली स्नेह मिलन व सम्मान समारोह

होली स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह में शहर भाजपा अध्यक्ष सुमन छाजेड़ का अभिनंदन किया।

बीकानेर, (कासं)। शिखरबंद महादेव मित्र मंडल और भाजपा जूनागढ़ मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा जूनागढ़ के सामने स्थित प्राचीन शिखरबंद महादेव मंदिर में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बीकानेर पूर्व क्षेत्र की विधायक सिद्धि कुमारी के मुख्य आतिथ्य और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ और देहात जिलाध्यक्ष श्यामसुंदर पंचारिया का स्वागत किया गया। भगवान शिव के विशेष भूतनाथ श्रृंगार के साथ सामूहिक आरती एवं स्नेह भोज का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ को साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और दुपट्टा भेंट करने के साथ ही नारी शक्ति के प्रतीक रूप में तलवार भेंट की गई। भाजपा जिला संगठन और कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से बीकानेर के अमर शहीद मेजर जेम्स थॉमस के परिजनों की सहमति और इच्छानुसार श्रेष्ठ स्थान उपलब्ध करवाने पर जिला प्रशासन का आभार भी प्रकट किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बूथ और क्षेत्र में सक्रियता से संघर्ष करने से ही उन्हें लगातार विजय प्राप्त हुई है। कार्यकर्ताओं के सहयोग और जन समस्याओं के निराकरण के लिए वे हरदम तत्पर है। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य ने कार्यकर्ताओं में आपसी समन्वय, संवाद और स्नेह पूर्वक व्यवहार को ही भाजपा संगठन की विशेषता बताते हुए कार्यकर्ताओं से संगठन कार्य के लिए हमेशा तैयार रहने का आव्हान किया।

पीपीपी मोड पर एमआरआई मशीन का अनुबंध खत्म, नहीं हुआ निर्णय

बीकानेर, (कासं)। पीबीएम हॉस्पिटल में सिटी एमआरआई की सुविधा को पीपीपी मोड पर जारी रखना है या नई मशीनें खरीदी जाएं, इसका फैसला अब सरकार करेगी।

- **15 साल से पीपीपी मोड पर चल रही थी, इसका अनुबंध मंगलवार को खत्म हो गया**

नया टेंडर नहीं लगाया जा सका, पीबीएम प्रशासन ने 25 दिन बाद पेश की तथ्यात्मक रिपोर्ट

संभागीय आयुक्त ने सोमवार को पीबीएम अधीक्षक और लेखा शाखा के अधिकारियों से इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया है। हालांकि एक एमआरआई और सिटी मशीन का अनुबंध मंगलवार को खत्म हो जायेगा। इसे कंटीन्यू करने को लेकर फिलहाल फाइल पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। पीबीएम हॉस्पिटल में सिटी एमआरआई जांच की सुविधा करीब 15 साल से पीपीपी मोड पर चल रही है। इसका अनुबंध मंगलवार को खत्म हो जायेगा। इसके लिए नया टेंडर नहीं लगाया जा सका है।

पीबीएम प्रशासन इसी व्यवस्था को तीन महीने के लिए आगे बढ़ाने के मूड में है। इसकी अनुशंसा के साथ मंजूरी के लिए फाइल मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त के पास भेजी गई है। उन्होंने अधीक्षक, वरिष्ठ लेखाधिकारी और वित्तीय सलाहकार को तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित बुलाया। पता चला है कि अधिकारियों ने तीन पेज की रिपोर्ट पेश की है। संभागीय आयुक्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं।

उन्होंने सिटी एमआरआई को लेकर अब तक हुई सभी निविदाओं के दस्तावेज मांगे हैं। मामला बड़े बजट का होने के कारण दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा जायेगा। एसपी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. गुंजन सोनी ने पिछले साल सरकार को पत्र लिखकर दो सिटी स्कैन और एक एमआरआई मशीन खरीदने के लिए 26 करोड़ रूपए का बजट मांगा था। यह मामला चिकित्सा विभाग में अटका पड़ा है। पीबीएम हॉस्पिटल में सिटी स्कैन और एमआरआई की तीन-तीन मशीनें काम कर रही हैं। पंद्रह साल पहले यह सुविधा मेडिसिन आईसीयू के पास शुरू की गई थी। वहां ठेके पर एक एमआरआई और एक ही सिटी स्कैन मशीन लगाई गई।

मकान में लगी आग से लाखों का नुकसान

नोखा, (कासं)। बुधरों की ढाणी में रामकिशन जाट के कच्चे मकान में सोमवार शाम को अचानक आग लग गई। आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि परिवार कुछ भी बचा नहीं पाया।

आग की चपेट में आने से घर में रखा सारा घरेलू सामान नष्ट हो गया। जीरे की फसल से मिली 5 लाख 17 हजार रूपए की नगद राशि भी जलकर राख हो गई। महत्वपूर्ण दस्तावेज, आभूषण और अनाज भी आग की भेंट चढ़ गए। स्थानीय लोगों को जैसे ही आग की सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने का हरसंभव प्रयास किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

इस हादसे में एक महिला हल्की रूप से झुलस गई। उसे तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया। गांव के मुरली गोदारा के अनुसार, आग से परिवार को लगभग 20 लाख रूपए का नुकसान हुआ है।

पांच किलो डोडा-पोस्त सहित महिला गिरफ्तार

खाजूवाला, (कासं)। यहां चक 11 केवाईडी में एक परिवार के सभी लोग डोडा-पोस्त और हथकड़ शराब बेचने में शामिल हैं। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उससे 5.518 किग्रा डोडा-पोस्त बरामद किया है। महिला का पति जेल में है। ससुर, देवर-देवरानी के खिलाफ भी पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं।

- **खाजूवाला के चक 11 केवाईडी में परिवार बेचता है डोडा-पोस्त और हथकड़ शराब**

खाजूवाला पुलिस थाने के एसएचओ सुरेन्द्र प्रजापत ने बताया कि चक 11केवाईडी में महिला की ओर से अवैध डोडा-पोस्त बेचने की इत्तला मिली थी। पुलिस जाब्ते के पास ठिकाने पर पहुंचे तो वहां भोला बाई मिली। घर की तलाशी ली तो एक जगह 2,08660 रूपए और 14 ग्राम डोडा-पोस्त बरामद हुआ। यह रूपए डोडा-पोस्त बेचकर जमा किए गए थे। इससे घर में बड़ी मात्रा में डोडा-पोस्त छिपाकर रखे जाने की आशंका हुई। तलाशी ली तो पशुओं के शेड के नीचे जमीन में छिपाकर रखा 5 किग्रा साबुत डोडा-पोस्त और 500 पिसा हुआ डोडा-पोस्त बरामद हो गया। कुल 5.518 किग्रा डोडा-पोस्त बरामद हुआ। डोडा-पोस्त बेचकर जमा की गई राशि जब्त की गई। भोला बाई को गिरफ्तार कर एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसकी जांच पूगल एसएचओ पवनसिंह को सौंपी गई है। आरोपी महिला का पूरा परिवार ही डोडा-पोस्त और हथकड़ शराब बेचने का काम करता है। महिला के पति शमशेर सिंह रायसिख को 27 जनवरी को 6.60 किग्रा डोडा-पोस्त के साथ गिरफ्तार किया गया था।

2.5 किमी. बिजली लाइन के तार चोरी

हनुमानगढ़, (कासं)। जिले के पीलीबंगा में बिजली के तारों की बड़ी चोरी सामने आई है। स्विफ्ट कार में सवार होकर आये चार-पांच बदमाशों ने करीब तीन लाख रूपए कीमत के बिजली के तार चोरी कर लिए।

- **पीलीबंगा में बिजली लाइन चोरी**
- **चोरी के समय इन तारों में थ्री फेस बिजली सप्लाई चालू थी**

रात करीब 3 बजे की है। चोरों ने रामपुरा से चक 35 एसटीजी के बीच बिछाई गई बिजली लाइन के करीब ढाई किलोमीटर लम्बे तीनों तार चुरा ले गए। चोरी के समय इन तारों में थ्री फेस बिजली सप्लाई चालू थी। जीएस खोसा कंपनी के मैनेजर लवप्रीत सिंह ने पीलीबंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने रघु सैल्स कंपनी से रामपुरा फीडर से चक 35 एसटीजी में गत्ता फैक्ट्री तक बिजली लाइन बिछाने का टेंडर लिया था। पीडित कंपनी ने अपने स्तर पर चोरों की तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच हैड कांस्टेबल अशोक कुमार को सौंपी गई है।

नाबालिग छात्र 4 दिन से लापता

हनुमानगढ़, (कासं)। बहलोल नगर से एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्र पिछले चार दिन से लापता है। सदर थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है।

पीड़ित परिवार की मां सुखी कौर और पिता जसवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा अजय सिंह 21 मार्च की सुबह करीब 8 बजे बिना किसी को बताए घर से निकल गया। वह तब से लौटकर नहीं आया है। परिवार ने आसपास के इलाकों में अजय की तलाश की। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी संपर्क किया लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच हैड कांस्टेबल बंशीलाल को सौंपी है। वे अपहरण के आरोप की धाराओं में मामले की जांच कर रहे हैं।

100 करोड़ की जमीन आवंटन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सूरतगढ़, (कासं)। बहुचर्चित विवेकानंद पब्लिक स्कूल, जाखड़ावाली को जमीन आवंटन के मामले में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगाते हुए स्थगन आदेश जारी कर दिया है।

- **विवेकानंद पब्लिक स्कूल जाखड़ावाली को 4 बीघा जमीन आवंटन का मामला**

इस संबंध में कांग्रेस के तीन निर्वतमान पार्षद परसराम भाटिया, बसंत बोहरा और तुलसी आसवानी ने रिट दायर की थी। विधायक डूंगरराम गेदर ने रविवार को जनसेवा केन्द्र में प्रेसवार्ता के जरिये जानकारी देते हुए कहा कि शहर की बेशकीमती भूमि को बचाने के लिए वे सदन से सड़क तक संघर्ष करेंगे। लेकिन किसी भी हालत में इस जमीन को हथियाने नहीं देंगे।

विधायक गेदर ने बताया कि नियमों और न्यायालय के आदेश को ताक पर रखकर, राजनीतिक प्रभाव के चलते, धानमंडी के पीछे स्थित करीब सौ करोड़ रूपए कीमत की जमीन का आवंटन करवाने के प्रयास लम्बे समय से किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि जाखड़ावाली में संचालित विवेकानंद पब्लिक स्कूल पूर्व मंत्री रामप्रताप कासनिया के पुत्र संदीप कासनिया का है। यह स्कूल निरंतर संचालित होने और अन्य जिले का होने के बावजूद, नगर पालिका मंडल की बैठक में 28 अगस्त 2024 को धानमंडी के पीछे 4 बीघा भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भिजवा दिया गया। जबकि यह प्रस्ताव 7 फरवरी 2005 को पालिका बोर्ड की बैठक में निरस्त किया गया था।

इस प्रस्ताव के विरुद्ध स्कूल की ओर से निगरानी याचिका प्रस्तुत करने पर तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री ने 8 मार्च और 19 अप्रैल 2006 को भूमि आवंटन का आदेश दिया था। जिसे उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस आदेश को निरस्त करने की पुष्टि कर दी।

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का नवम दीक्षांत समारोह आज, उपाधि बटेंगी

बीकानेर, (कासं)। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का नवम दीक्षांत समारोह बुधवार को प्रात: 10 बजे से विश्वविद्यालय के संत मीराबाई सभागार आयोजित किया जायेगा। इस समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं राज्यपाल हरिभाऊ बागडे करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर शिरकत करेंगे।

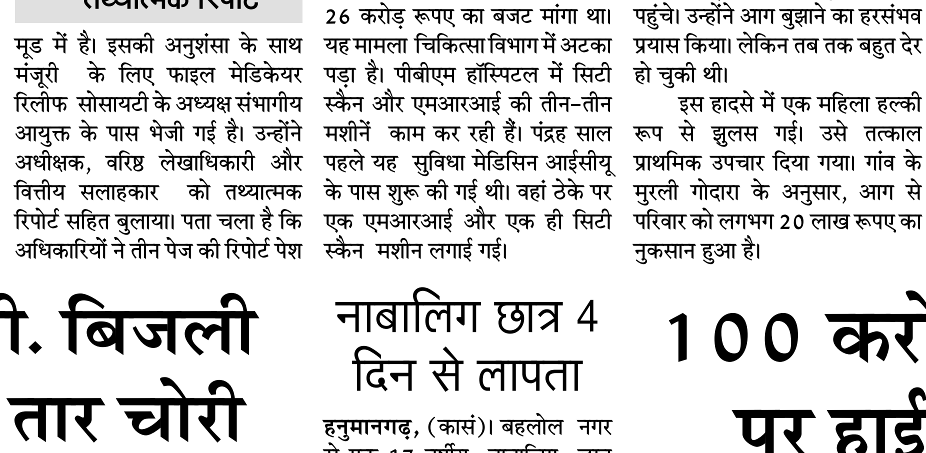

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का नवम दीक्षांत समारोह के बारे में कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने जानकारी दी।

- **134 अभ्यर्थियों पीएचडी की उपधि दी जायेगी**

विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने बताया कि दीक्षांत समारोह में परीक्षा वर्ष 2022 एवं 2023 के अंतिम वर्षों के सफलतम विद्यार्थियों को उपाधि एवं पदक तथा 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2023 की अवधि में शोध कार्य सम्पन्न कर चुके अभ्यर्थियों को विद्या-वाचस्पति की उपाधि प्रदान की जायेगी। आचार्य दीक्षित ने बताया कि विद्यार्थियों को समय पर उपाधि मिल सके। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष परीक्षा 2022 एवं परीक्षा 2023 का दीक्षांत समारोह एक साथ आयोजित किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह में परीक्षा वर्ष 2022 के कुल 1,26,949 और परीक्षा वर्ष 2023 के कुल 1,21, 020 विद्यार्थियों को उपाधियां दी जायेगी। साथ ही विभिन्न कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षा वर्ष 2022 के कुल 63 एवं 2023 के कुल 62 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जायेंगे।

दीक्षांत समारोह में वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में विभिन्न संकायों में कुल 134 अभ्यर्थियों विद्या-वाचस्पति (पीएचडी) की उपधि भी दी जायेगी। आचार्य दीक्षित ने बताया कि कुलाधिपति एवं राज्यपाल द्वारा संत मीराबाई सभागार में विश्वविद्यालय के ड्राइंग एवं पेंटिंग के विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई आर्ट गैलेरी का लोकार्पण किया जायेगा। कुलसचिव अरविन्द बिश्नोई ने बताया कि दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति द्वारा परीक्षा वर्ष 2022 में विज्ञान संकाय की सरोज देवी को कुलाधिपति पदक एवं खुशबू भटेजा को कुलपति पदक तथा परीक्षा वर्ष 2023 में सामाजिक विज्ञान संकाय की सुश्री तनु को कुलाधिपति पदक एवं विधि संकाय की सुश्री यामिनी मिश्रा को कुलपति पदक प्रदान किया जायेगा।

अतिरिक्त कुलसचिव एवं मीडिया प्रभारी डॉ बिट्ठल बिस्सा ने बताया कि दीक्षान्त समारोह की व्यापक तैयारियां की गई हैं।

खेमराज कमेटी की रिपोर्ट का विरोध

बीकानेर, (कासं)। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) जिला शाखा बीकानेर की बैठक आज गांधी पार्क मे अयोजित की गई। जिसमें जयगोपाल जोशी मुख्य सरंक्षक ने कहा कि कर्मचारियों की वेतन विंसगतियों को दूर करने के लिये खेमराज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। उसमे कर्मचारी अपने का ठगा सा महसूस कर रहा है।

राजकुमार व्यास लैब टैक्नीशियन नेता ने कहा वर्तमान में सरकार की चेतना जागृत करने लिये सबको एक साथ एकत्रित होकर संघर्ष करना है। इदरीश अहमद ने कहा कि एकीकृत महासंघ ने जब-जब कर्मचारियों की मांगें उठाई है, सरकार सतर्क हुई है। अध्यक्षीय भाषण में जिला अध्यक्ष आनन्द पणिया ने कहा कि खेमराज कमेटी से कर्मचारियों को शून्य लाभ हुआ है। हमें इस कमेटी से बहुत उम्मीदें थी। मगर संवर्ग को कुछ नहीं मिला। सभी कर्मचारी एक साथ मिलकर संघर्ष का बिगुल बजायेंगे।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक-LU2012/SGN/2024-25/101286 **लोक सूचना** दिनांक- 25/03/2025

श्री हिमांशु बिहानी पुत्र श्री शरद बिहानी निवासी मकान नं. 14, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय+व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् -

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1.	चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री हिमांशु बिहानी पुत्र श्री शरद बिहानी	चक 4 जैड मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 3/2 में 0.0838 हैक्टे. किला नं. 8/1 में 0.0920 हैक्टे. किला नं. 13/2 में 0.0920 हैक्टे. किला नं. 18/1 में 0.0920 हैक्टे. यथाकुल 0.3598 हैक्टेयर	कुल 0.3598 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज .... को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / निर्माण / 2024-25 / 5410 दिनांक 24.03.2025

ई- निविदा-सूचना सं0 122/2024-25

नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanermc.org Web site www.SPPP.raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
निविदा की कुल लागत 49.50 लाख
UBN Number :- DLB2425WSOB22377

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

राज.संवाद / सी / 24 / 13942

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2025/3791 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 21.3.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री अरूण कुमार गुप्ता पिसरान श्री फकीरचंद गुप्ता निवासी 69 बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 35/37 किला नं. 21 भू.सं. एसपीएल-1,2 माप 60 इंटू 65 फीट शक्ति मार्ग, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का पट्टा सं. 561 दिनांक 6.7.1989 को श्री फकीरचंद पुत्र श्री लालचंद अग्रवाल के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री फकीरचंद की मृत्यु दिनांक 28.7.1969 को होने के पश्चात श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री अरूण कुमार गुप्ता द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 20.3.1990 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखंड के नामांतरण हेतु आवेदन किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री अरूण कुमार गुप्ता पिसरान श्री फकीरचंद गुप्ता निवासी 69 बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।
आवेदन संख्या :- SGNR/FY24-25/MUT/978 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2025/3801 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 24.3.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुषमा किंगर पत्नी श्री हितेन्द्र किंगर निवासी म.नं. 79 हरमिलापी कॉलोनी, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 08 किला नं. 25 भू.सं. ई-12 माप 30 इंटू 50 फीट अंबिका सिटी, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का पट्टा सं. 5110 दिनांक 21.9.2007 को श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री विजय कुमार के नाम से जारी किया हुआ है।	श्रीमती संतोष किंगर द्वारा उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 13.10.2016 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखंड का ऑनलाईन नामांतरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्रीमती सुषमा किंगर पत्नी श्री हितेन्द्र किंगर निवासी म.नं. 79 हरमिलापी कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।
आवेदन संख्या :- SGNR/FY24-25/MUT/1514 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2025/3800 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 23.3.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती शकीला देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश निवासी 76 राज्य कर्मचारी कॉलोनी, वृद्धाश्रम रोड़, हनुमान चौक, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 4 एमएल मुरब्बा नं. 12 किला नं. 09 भू.सं. जी-18 कॉर्नर माप 400 इंटू 65 फीट किंग्स ऐवेन्यू, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का पट्टा सं. 12943 दिनांक 22.12.2021 को श्री मोहम्मद बिलाल पुत्र श्री साजिद अली के नाम से जारी किया हुआ है।	श्रीमती शकीला देवी द्वारा उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 15.01.2025 के द्वारा क्रय कर कर उक्त नामांतरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्रीमती शकीला देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश निवासी 76 राज्य कर्मचारी कॉलोनी, वृद्धाश्रम रोड़, हनुमान चौक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।
आवेदन संख्या :- SGNR/FY24-25/MUT/1521 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2024/ **आपत्ति सूचना** दिनांक : 9.3.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 7 ई छोटी मुरब्बा नं. 22 के किला नं. 13, 14 में भूखण्ड माप 30'-0'' गुणा 60'-0'' फीट के नियमन/पटटा हेतु आवेदक श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बंगाली बाबू निवासी 1 जी छोटी, ढाकावाली ढाणी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन पट्टा सं. 10326 दिनांक 24.09.2020 द्वारा जारी किया गया था। आवेदक/पटटाधारक द्वारा उक्त जारी पटटे को निर्धारित समयावधि में उपपंजीयन कार्यालय से पंजीकृत नहीं करवाया गया। आवेदक द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र उक्त भूखण्ड के जारी पटटे को नवीनीकरण हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय आदेशानुसार 3 वर्ष अवधि के पश्चात पट्टा नवीनीकरण नहीं किया जाकर पुनः नया पटटा जारी किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/पटटे के आधार पर नया पटटा जारी करने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त नियमानुसार आवेदक श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बंगाली बाबू निवासी 1 जी छोटी, ढाकावाली ढाणी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/जारी पटटे के आधार पर चक 7 ई छोटी मुरब्बा नं. 22 के किला नं. 13, 14 में भूखण्ड माप 30'-0'' गुणा 60'-0'' फीट का नियमन पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
RajKaj Ref. No. 13980278 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- LU2012/SGN/2024-25/101287 **लोक सूचना** दिनांक : 25.3.2025

श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री सुनील गुप्ता निवासी 2 बी 06, सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर एवं श्री परविन्द्र सिंह गिल पुत्र श्री गुरविन्द्र सिंह गिल निवासी डी-02 वीके सिटी, वार्ड नं. 18, विश्वकर्मा मोटर मार्केट के पास, श्रीगंगानगर एवं श्री विपुल अग्रवाल पुत्र श्री रामअवतार अग्रवाल निवासी मकान न. 1443 फरीदाबार सैक्टर 16, हरियाणा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय + व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 4 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री सुनील गुप्ता एवं श्री परविन्द्र सिंह गिल पुत्र श्री गुरविन्द्र सिंह गिल एवं श्री विपुल अग्रवाल पुत्र श्री रामअवतार अग्रवाल	चक 4 ए छोटी मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 5/2 में 0.1935 है. किला नं. 6/1 में 0.2146 है. किला नं. 15/2 में 0.2146 है. किला नं. 16/1 में 0.2146 है. किला नं. 25/2 में 0.2146 है. यथाकुल 1.0519 हैक्टेयर	कुल 1.0519 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25.3.2025 को जारी की गयी।
- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर